

व्हाइट हाउस द्वारा एच-1बी वीज़ा नयिमों में परिवर्तन करने को कहा गया

गौरतलब है कि अमेरिका ने सात देशों के नागरिकों के अमेरिका आगमन पर अस्थायी प्रतर्बिंध लगाते हुए अमेरिका की वीज़ा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। 31 जनवरी को अमेरिकी संसद की प्रतर्निधि सभा ने एच- 1 बी वीज़ा नयिमों में सुधार संबंधी एक नया वधियक प्रस्तुत किया है। इन नए नयिमों के अनुपालन से अमेरिकी कम्पनियों वधिश पेशेवरों को आसानी से रोजगार प्रदान नहीं कर सकेंगी। इसका सबसे अधिक असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा।

प्रमुख बदि

- इस वधियक में वर्णति प्रावधानों के अंतर्गत वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण का कार्य (Optional Practical Training-OPT) तथा किसी भी अमेरिकी विश्वविद्यालय से वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणति (Science, Technology, Engineering, Math - STEM) के क्षेत्र में परासनातक की डिग्री प्राप्त लोगों के लिये नौकरी संबंधी प्रशिक्षण पर प्रतर्बिंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
- हालाँकि भारत द्वारा एच-1 बी वीज़ा आवेदन के तहत परासनातक डिग्री में छूट प्रदान करने की मांग की गई है क्योंकि ज़्यादातर आईटी पेशेवरों के पास परासनातक की ही डिग्री होती है।
- ध्यातव्य है कि इन नए वीज़ा नयिमों के तहत न्यूनतम 88 लाख रुपये (1.30 लाख डॉलर) सालाना वेतन पाने वाले लोगों को ही वीज़ा प्रदान किया जाएगा।
- यह मौजूदा 40 लाख रुपये के स्तर से (60 हजार डॉलर) से दोगुना है। ऐसे में अमेरिकी कम्पनियों के लिये भारतीयों को नौकरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
- द हाई स्किलेड इंटिग्रेटी एंड फेयरनेस अधिनियम (The High Skilled Integriti and Fairness Act), 2017 के तहत एच-1 बी वीज़ा के लिये 1989 से चले आ रहे 60 हजार डॉलर के न्यूनतम वेतन को दोगुने से ज़्यादा तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इस वधियक को कैलिफोर्निया के सांसद जोए लोफग्रेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

क्या है एच – 1 बी वीज़ा

- गौरतलब है कि एच -1 बी वीज़ा अर्हता प्राप्त पेशेवरों को ही प्रदान किया जाता है। इस वीज़ा नीति के आधार पर ही अमेरिकी कम्पनियाँ हर साल हजारों वधिश पेशेवरों को अपने यहाँ रोजगार प्रदान करती हैं।
- हाल ही में प्रस्तुत किये गए इस नए वधियक में वर्णति नयिमों के अनुसार, इसके पश्चात् एच- 1 बी वीज़ाधारक पेशेवरों को अधिक वेतन प्रदान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी लोगों के मुकाबले भारतीय पेशेवर कम वेतन पर काम करते हैं। ऐसे में आईटी कम्पनियों द्वारा बढ़े वेतन पर अमेरिकी लोगों को ही तरजीह देने की सम्भावना बढ़ जाती है।

अभी तक किस कतिना एच -1 बी वीज़ा प्रदान किया जाता है

- गौरतलब है कि वर्तमान में अमेरिकी सरकार द्वारा कम्प्यूटर के क्षेत्र में तकरीबन 86.5 फीसदी भारतीयों, 5.1 फीसदी चीनी नागरिकों तथा 0.8 फीसदी कनाडाई नागरिकों तथा 7.6 फीसदी एच- 1 बी वीज़ा अन्य लोगों को प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तकरीबन 46.5 फीसदी भारतीयों, 19.3 फीसदी चीनी नागरिकों तथा 3.4. फीसदी कनाडाई नागरिकों तथा 30.8 फीसदी एच – 1 बी वीज़ा अन्य लोगों को प्रदान किया जाता है।

अन्य पक्ष

- हालाँकि इस वधियक के लागू होने से भारतीय कंपनियों के समक्ष बहुत सी परेशानियाँ आएंगी तथापि इसके अंतर्गत सबसे प्रभावकारी बात यह है कि उक्त वधियक के अंतर्गत 20% वीज़ा 50 अथवा उससे कम कर्मियों वाली कंपनियों को प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान भी किया गया है।
- इस वधियक के अंतर्गत उक्त प्रावधान को शामिल किये जाने का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः देश में स्टार्ट-अप कंपनियों को बढ़ावा प्रदान करना है। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो वे लोग जो अपना स्वयं का कारोबार आरंभ करना चाहते हैं उनके लिये यह एक स्वर्णमि अवसर के रूप में प्रस्तुत होगा।
- इसके अतिरिक्त इन नए वीज़ा नयिमों में वीज़ाधारक के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अर्थात् अभी तक पत्निया पत्नी में से किसी एक को भी यदि एच-1 बी वीज़ा प्राप्त होता था तो उस व्यक्तिके जीवनसाथी को भी अमेरिका में काम करने की मंजूरी प्राप्त हो जाती थी।
- आमतौर ऐसे लोगों को एल-1 श्रेणी का वीज़ा प्रदान किया जाता है परन्तु इन नए नयिमों के लागू होने के उपरांत इन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- साथ ही वीज़ा प्रदान करने के संबंध में प्रयोग की जाने वाली लॉटरी प्रणाली में भी परिवर्तन करने की सम्भावना है।
- वर्तमान में एक लाख से भी अधिक एच-1 बी वीज़ाधारक भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में इस नए वधियक में वर्णित प्रावधानों को लागू किये जाने से इन पेशेवरों को वापस भारत लौटना पड़ सकता है। साथ ही इससे नए पेशेवरों को मिलने वाले काम की संख्या में कमी आने की प्रबल सम्भावना है।

- इस वधियक को अमेरकी राष्ट्रपत डोनाल्ड ट्रम्प की अनुमता प्राप्त होने के पश्चात् अमेरकी सरकार द्वारा 90 दिनों के भीतर इस वधियक में वर्णति प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी तथा उन सभी कारणों का पता लगाया जाएगा जिनके कारण अमेरिका के हति प्रभावति हो रहे हैं।
- ध्यातव्य है कएच -1 बी वीजा के नए बलि के पेश होते ही इंफोससि, टीसीएस, वपिरो तथा टेक महदिरा के शेयर 3 से 5 फीसदी तक गरि गए हैं। अमेरिका में 60 फीसदी इंफोससि के कर्मचारी एच - 1 बी वीजाधारक हैं।
- इसके अतरिक्त अमेरकी सरकार द्वारा संघीय नरीरिषकों को भी नयुक्त करने पर वचिर कया जा रहा है ताक अतथि श्रमकीं (Guest Workers) के तौर कर काम कर रहे लोगों के संबंघ में नयिमति रूप से जानकारी प्राप्त की जा सके।

नषिकरष

एक रपिर्ट के मुताबकि, अमेरकी के कई प्रान्त ऐसे हैं जहाँ भारतीय कंपनयों द्वारा अधकितर अमेरकी नागरकीं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कया गया है। जनिमें न्यू जर्सी, कैलिफोर्नया, टेक्सास तथा न्यूयार्क प्रमुख हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे भी प्रान्त हैं (टेक्सास, पेन्सलिवेनया, मनिंसोटा, न्यूयार्क इत्यादी) जहाँ भारतीय कंपनयों ने सबसे अधकि प्रत्यक्ष वदिशी नविश भी कया है। स्पष्ट है क भारतीय कम्पनयों अमेरिका में लगातार अपने नविश एवं व्यापार को बढ़ावा प्रदान कर रही हैं। ऐसे में कर्मचारयों की छंटनी का प्रभाव केवल भारतीयों पर ही नहीं होगा वरन् अमेरकी अर्थव्यवस्था पर भी होगा। स्पष्ट है क ऐसे में यद अमेरकी प्रशासन एच-1 बी वीजा के रूप में भारतीय कर्मचारयों पर शकिंजा कसता है, तो इसका प्रभाव अमेरिका में भारतीय कंपनयों के रुख पर भी पड़ेगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-white-house-was-asked-to-change-the-h-1b-visa-rules>

